



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक एफ 21 (7)2023-24/विकास/प्रमुखस/ 979

दिनांक: 16/05/2023

कार्यालय आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान द्वारा वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा संख्या 120 (दिनांक 10.02.2023) की अनुपालना में प्रत्येक जिले में वन क्षेत्रों तथा समीप के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए लव कुश वाटिका विकसित करने हेतु निम्न बजट मदों में वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्नानुसार बजट आवंटन किया जाता है।

बजट मद	मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	आवंटित बजट (राशि रु. लाखों में)
440602-112-01-01-16 लघु निर्माण कार्य	बीकानेर	उप वन संरक्षक, बीकानेर	40.00
		उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर	40.00
		उप वन संरक्षक, चूरु	40.00
		उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़	40.00
	कोटा	उप वन संरक्षक, कोटा	40.00
		उप वन संरक्षक, बांरा	40.00
		उप वन संरक्षक, बूंदी	40.00
		उप वन संरक्षक, झालावाड	40.00
	वन्यजीव उदयपुर	उप वन संरक्षक, वन्यजीव राजसमंद	40.00
	उदयपुर	उप वन संरक्षक, चित्तौडगढ़	40.00
	अजमेर	उप वन संरक्षक, भीलवाडा	40.00
		उप वन संरक्षक, नागौर	40.00
	जोधपुर	उप वन संरक्षक, जोधपुर	40.00
		उप वन संरक्षक, जालौर	40.00
		उप वन संरक्षक, बाडमेर	40.00
		उप वन संरक्षक, पाली	40.00
उप वन संरक्षक, जैसलमेर		40.00	
योग			680.00
440602-789-04-01-16 लघु निर्माण कार्य	अजमेर	उप वन संरक्षक, अजमेर	40.00
		उप वन संरक्षक, टोंक	40.00
	भरतपुर	उप वन संरक्षक, भरतपुर	40.00
		उप वन संरक्षक, करौली	40.00
		उप वन संरक्षक, धौलपुर	40.00
		उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर	40.00
	जयपुर	उप वन संरक्षक, अलवर	40.00
		उप वन संरक्षक, दौसा	40.00
		उप वन संरक्षक, जयपुर	40.00
		उप वन संरक्षक, सीकर	40.00
	उप वन संरक्षक, झुन्झुनू	40.00	
योग			440.00

बजट मद	मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	आवंटित बजट (राशि रु. लाखों में)
4406-02-796-02-01-16 लघु निर्माण कार्य	उदयपुर	उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर)	40.00
		उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़	40.00
		उप वन संरक्षक, डूंगरपुर	40.00
		उप वन संरक्षक, बांसवाडा	40.00
	जोधपुर	उप वन संरक्षक, सिरोही	40.00
योग:-			200.00

बजट का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमों/आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओं के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(एम.के.गर्ग)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 21 (7)2023-24/विकास/प्रमुख/980-1023 दिनांक: 16/05/2023
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/जयपुर/अजमेर/वन्यजीव उदयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर।
- उप वन संरक्षक, बीकानेर/श्रीगंगानगर/चुरू/हनुमानगढ़/कोटा/बारां/बूंदी/झालावाड़/वन्यजीव राजसमंद/चित्तौड़गढ़/भीलवाड़ा/नागौर/जोधपुर/जालौर/बाड़मेर/पाली/अजमेर/टोंक/भरतपुर/करौली/सवाईमाधोपुर/धौलपुर/अलवर/दौसा/जयपुर/सीकर/झुंझुनू/उदयपुर (उत्तर)/प्रतापगढ़/डूंगरपुर/बांसवाडा/सिरोही।
- प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट पर अपलोड हेतु)/रक्षी पत्रावली।

mm

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर